डिकरी व सीगे अपील
(ऑर्डर 41 , रूल 35, जाब्ता दीबानी)
(Civil Procedure Code,Appendix D&1)
अज अदालत **राजस्व अपील प्राधिकारी, भरतपुर** मुकाम **भरतपुर**
व इजलास श्री रिछपाल सिंह बुरड़क (आर0ए0एस0)

राजस्व अपील संख्या :– 127/24 (223 आर.टी.एक्ट)
जीसीएमएस नम्बर :– 2024/284

उनवान

मूर्ति मंदिर श्री सालिगराम जी महाराज स्थित स्टेशन बजरिया भरतपुर जरिये संरक्षक अरुण कुमार पुत्र श्री जयकुमार जाति ब्राह्मण निवासी नई मण्डी भरतपुर तहसील व जिला भरतपुर।

.....अपीलान्ट

बनाम

मंदिर दिगम्बर जैन स्थित वासन दरवाजा जरिये अध्यक्ष सुरेशचंद जैन पुत्र हुकमचंद जैन मैसर्स सॉवलदास हुकमचंद जैन नई मण्डी भरतपुर तहसील व जिला भरतपुर।

.....रेस्पोडेन्ट

अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955, विरुद्ध मु.स. 209/2008 बउनवानी मूर्ति मंदिर श्री सालिगराम जी महाराज बनाम मन्दिर दिगम्बर जैन में पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 02.08.2024 द्वारा न्यायालय उपखण्ड अधिकारी भरतपुर, दावा अन्तर्गत धारा 88, 89, 188 आर.टी.एक्ट

यह अपील .....26.....माह.....05.....सन्.....2026.....व ..... मिनजानिब अपीलान्ट की ओर से अधिवक्ता **श्री सोनीराम शर्मा** एड....., एवं रेस्पोडेन्ट की ओर से अधिवक्ता **श्री महाराज सिंह डागुर** उपस्थित समायत के लिये पेश होकर यह हुक्म है कि..... **अपील अपीलान्ट सारहीन होने से खारिज की जाती है एवं अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित जैर अपील निर्णय व डिक्री दिनांक 02.08.2024 यथावत रखे जाते हैं।**

(खर्चा अपील.....का हस्य तफसील जेर तादादी जेर तादादी मुबलिग.....) रूपये..... अदा करें, खर्चा मुकदमा मुबलिग का.....अदा करें।

बसब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख.....26.....माह.....05.....सन्.....2026.....को जारी की गई।

(रिछपाल सिंह बुरड़क)
आर.ए.एस.
राजस्व अपील प्राधिकारी
भरतपुर

मुदई	रूपया	पैसे	मुदायलाह	रूपया	पैसा
स्टाम्प अर्जीदावा			स्टाम्प वकालतनामा		
स्टाम्प वकालतनामा			स्टाम्प अर्जी		
स्टाम्प वजह सबूत			महनताना वकील पर		
महनताना वकील			खर्चा गवाहान		
खर्चा गवाहान			फीस कमिश्नर		
फीस कमिश्नर			बाबत् इजराय हुक्मनामा		
बाबत् इजराय हुक्मनामा			मुतफर्रिक		
मुतफर्रिक					
मीजान			मीजान		

नोटः– इस खर्चे के फार्म पर कुल खर्चा हर दो फरीकेन का, चाहे डिकरी के जरिये दिलाया गया हो या नही दर्ज करना चाहिये।

न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, भरतपुर

पीठासीन अधिकारी :– रिछपाल सिंह बुरड़क आर.ए.एस.

राजस्व अपील संख्या :– 127/24 (223 आर.टी.एक्ट)
जीसीएमएस नम्बर :– 2024/284

उनवान

मूर्ति मंदिर श्री सालिगराम जी महाराज स्थित स्टेशन बजरिया भरतपुर जरिये संरक्षक अरुण कुमार पुत्र श्री जयकुमार जाति ब्राह्मण निवासी नई मण्डी भरतपुर तहसील व जिला भरतपुर।

.....अपीलान्ट

बनाम

मंदिर दिगम्बर जैन स्थित वासन दरवाजा जरिये अध्यक्ष सुरेशचंद जैन पुत्र हुकमचंद जैन मैसर्स सॉवलदास हुकमचंद जैन नई मण्डी भरतपुर तहसील व जिला भरतपुर।

.....रेस्पोडेन्ट

अपील अंतर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955, विरुद्ध मु.स. 209/2008 बउनवानी मूर्ति मंदिर श्री सालिगराम जी महाराज बनाम मन्दिर दिगम्बर जैन में पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 02.08.2024 द्वारा न्यायालय उपखण्ड अधिकारी भरतपुर, दावा अन्तर्गत धारा 88, 89, 188 आर.टी.एक्ट

अभिभाषकगण :–

1. वकील अपीलाण्ट श्री सोनीराम शर्मा उपस्थित।
2. वकील रेस्पोडेन्ट श्री महाराज सिंह डागुर उपस्थित।

निर्णय दिनांक : 26.05.2026

1. अपीलांट ने यह अपील अंतर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955, न्यायालय उपखण्ड अधिकारी भरतपुर द्वारा मु.स. 209/2008 बउनवानी मूर्ति मंदिर श्री सालिगराम जी महाराज बनाम मन्दिर दिगम्बर जैन में पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 02.08.2024, दावा अन्तर्गत धारा 88, 89, 188 आर.टी.एक्ट के विरुद्ध प्रस्तुत की है।

2. प्रकरण में संक्षिप्त एवं सारगर्भित तथ्य इस प्रकार है कि अपीलान्ट/वादी ने अधीनस्थ न्यायालय में एक दावा अन्तर्गत धारा 88, 89 व 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 का इस आशय से पेश किया कि विवादित आराजी खसरा नम्बर 1087/4–15, 1088/1–3, 1089/2–5, 1090/2–10, 1091/0–15, 1092/1–2 वाके कस्बा भरतपुर चक नं. 2 स्थित, के हाल बन्दोबस्ती ख.न. 2090/0.52, 2091/0.18, 2117/0.10, 2118/0.87, 2119/0.14, 2120/0.15, 2121/0.19, 2122/0.46, 2123/ 0.21 बनाये गये। उक्त विवादित आराजी का वादी खातेदार है तथा इन्द्राज प्रतिवादी के नाम गलत है। इसलिए वादी ने वाद पेश कर निवेदन किया कि वादी वर्णित आराजी वादपत्र का खातेदार है। इन्द्राज प्रतिवादी के नाम गलत है जो काबिल कलमजन है। वहक वादी व खिलाफ प्रतिवादी इस आशय की सादिर फरमाई जावे कि वह आराजी मुत. को गलत इन्द्राज की आड में खुर्द–बुर्द न करें, रहन–बय–मुन्तकिल न करें व ऐसा कोई कार्य न करें जिससे हकूक वादी पर बुरा असर पड़े। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दावा दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादी को जरिये समन तलब किया। जिसके उपरान्त अधीनस्थ न्यायालय ने दिनांक 02.08.2024

राजस्व अपील प्राधिकारी
भरतपुर (राज.)

को निर्णय पारित करते हुए वादी का वाद अस्वीकार कर खारिज कर दिया। जिससे व्यथित होकर अपीलान्ट ने यह अपील पेश की है।

3. अपील प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर की गयी। रेस्पोडेन्ट्स को जरिये समन तलब किया गया। अपीलान्ट की ओर से अधिवक्ता श्री सोनीराम शर्मा एवं रेस्पोडेन्ट की ओर से अधिवक्ता श्री महाराज सिंह डागुर ने वकालतनामा प्रस्तुत किया। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की जाकर प्राप्त की गयी।

4. विद्वान अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस सुनी गयी।

5. विद्वान अधिवक्ता अपीलान्ट ने बहस में अपने अपील मीमों को दोहराते हुए कथन किया कि विवादित आराजी साबिक खसरा नम्बर 1087/4–15, 1088/1–3, 1089/2–5, 1090/2–10, 1091/0.15, 1092/1–2 स्थित कस्बा भरतपुर मूर्ति श्री सालिगराम जी महाराज की कब्जे एवं माफी की आराजी है। जो प्रस्तुत जमाबंदी प्रदर्श–1 सम्वत 1985 में दर्ज है। मूर्ति की आराजी को न तो कोई व्यक्ति विक्रय कर सकता है ना ही किसी प्रकार से अन्य को खातेदारी अधिकार पैदा हो सकते हैं। लेकिन फिर भी उक्त आराजी वाद में रेस्पोडेन्ट की खातेदारी में अंकित कर दी गई जो खिलाफ कानून इन्द्राज है। अधीनस्थ न्यायालय स्वयं स्वीकार करती है कि पूर्व में विवादित आराजी वादी अपीलान्ट की खुद काश्त मिलिकयती अंकित रही है। इस तथ्य को नजर अन्दाज करते हुए अधीनस्थ न्यायालय द्वारा निर्णय खिलाफ कानून पारित किया गया है। प्रतिवादी/रेस्पोडेन्ट की ओर से अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष ऐसा कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया है जिससे यह प्रमाणित होता हो कि विवादित आराजी कभी जैन मन्दिर को दी गई हो। जैन मन्दिर अलग आराजी में स्थित है तथा विवादित आराजी आज भी मौके पर खाली पड़ी हुई है। फिर भी अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दावा वादी अपीलान्ट खारिज करने में कानूनी भूल की है। अधीनस्थ न्यायालय ने वादी एवं प्रतिवादी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजात का सही अध्ययन नहीं किया है ना ही मौखिक साक्ष्य को कतई पढ़ा है। ऐसी स्थिति में जो निर्णय तनकी सं. 1 का अधीनस्थ न्यायालय ने अंकित किया है वह विधिसम्मत नहीं है। निरस्त किये जाने योग्य है।

विद्वान अधिवक्ता अपीलान्ट ने बहस के अन्त में निवेदन किया कि अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर निर्णय व डिक्री दिनांक 02.08.2024 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी भरतपुर निरस्त फरमाया जावे एवं दावा वादी अपीलान्ट डिक्री फरमाया जावे।

6. विद्वान अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट ने अपनी बहस में कथन किया कि विवादित आराजी खसरा नम्बर 1087, 1088, 1089, 1090, 1091, 1092 वाके चक नम्बर दो के हाल बन्दोवस्ती खसरा नम्बरान 2090, 2091, 2117, 2118, 2119, 2120, 2121, 2122, 2123 बनाये गये हैं। विवादित आराजीयात प्रतिवादी मन्दिर की कब्जे काश्त एवं खातेदारी की आराजी है जिसके कुछ भाग में मन्दिर बना हुआ है जो करीब 200 वर्ष पुराना है वादी का इस आराजी से कोई सम्बन्ध सरोकर नहीं है। विवादित आराजी कभी माफी वादी मंदिर नहीं रही है लेकिन वादी के कथनानुसार भी माफी के विवाद को सुनने का इस न्यायालय को क्षेत्राधिकार नहीं है। इसलिए माफी पर आधारित दावा न्यायालय श्रीमान में धारा 23 राज0 भूमि सुधार एवं जागीर पुर्नग्रहण अधि0 1952 के प्रावधानों के अनुसार चलने योग्य नहीं है। वादी मंदिर का विवादित आराजी से कोई सम्बन्ध नहीं है। उसे कोई अधिकार खातेदारी विवादित आराजी पर प्राप्त नहीं है। इसलिये वादी मन्दिर अपने हक में खातेदारी की या अन्य कोई घोषणा जारी कराने का अधिकारी नहीं है। प्रतिवादी मंदिर खातेदार काश्तकार काबिज है उसकी आराजी की देखभाल प्रबन्ध समिति के द्वारा की जा रही है। विवादित आराजी से वादी मंदिर का किसी प्रकार का कोई सम्बन्ध नहीं है इन्द्राज मन्दिर सरावगीयान भी प्रतिवादी जैन मंदिर से सम्बन्धित है क्योंकि जैन धर्म के अनुयाईयों को ही सरावगीयान कहते हैं। राजस्व कर्मचारियों द्वारा मंगल

राजस्व अपील प्राधिकारी
भरतपुर (राज.)

पुत्र कन्हैया के नाम इन्द्राज गैरमौरुसी गलत हो जाने से शुद्ध किये हैं और प्रतिवादी मंदिर को खातेदार काश्तकार अंकित किया गया है क्योंकि प्रतिवादी मंदिर ही उक्त विवादित आराजी पर राजस्थान काश्तकार अधिनियम लागू होने के समय बहैसियत कृषक काबिज रही है। इस प्रकार अधीनस्थ न्यायालय द्वारा विधिसम्मत निर्णय पारित किया गया है। अतः अपील अपीलान्ट खारिज फरमाई जावे।

7. अपीलान्ट ने यह अपील अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय व डिक्री दिनांक 02.08.2024 के विरुद्ध न्यायालय हाजा में दिनांक 17.09.2024 को पेश की गई है, जो अन्दर मियाद है।

8. हमने विद्वान अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर मनन किया एवं अपील पत्रावली एवं अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का अवलोकन किया गया। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा वादीगण के दावा व प्रतिवादीगण के जबाबदावा के आधार पर वाद में निम्न तनकीयात कायम की गई :–

तनकी सं. 1 :– आया वादी स्वयं को वादग्रस्त आराजी का खातेदार कृषक घोषित करा पाने का अधिकारी है?

तनकी सं. 2 :– आया वादी वादग्रस्त आराजी पर प्रतिवादीगण के विरुद्ध स्थाई निषेधाज्ञा जारी करा पाने का अधिकारी है?

तनकी सं. 3 :– आया वादी का वादग्रस्त आराजी से कोई सम्बन्ध नहीं है?

तनकी सं. 4 :– आया दावा वादी की सुनने का क्षेत्राधिकार इस न्यायालय को नहीं है?

5. दादरसी?

अधीनस्थ न्यायालय द्वारा तनकी सं. 1 व 2 का निर्णय निम्न प्रकार किया गया है :–

तनकी सं. 1 :– आया वादी स्वयं को वादग्रस्त आराजी का खातेदार कृषक घोषित करा पाने का अधिकारी है?

तनकी सं. 2 :– आया वादी वादग्रस्त आराजी पर प्रतिवादीगण के विरुद्ध स्थाई निषेधाज्ञा जारी करा पाने का अधिकारी है?

जमाबन्दी संवत 1985 प्रदर्श–1 के मुताबिक गत खसरा नम्बरों पर नाम मालिक के कालम में मन्दिर सालिगराम वासन दरवाजा दर्ज रिकार्ड है। नकल खसरा संख्या 2039–42 प्रदर्श 2. नकल जमाबन्दी हाल संख्या 2060–63 में दिगम्बर जैन मन्दिर वासन दरवाजा दर्ज रिकार्ड है। नकल जमाबन्दी संवत 2010–14 प्रदर्श 5 में मन्दिर सरायगीरान वाके वासन दरवाजा दर्ज रिकार्ड है। उक्त सभी रिकार्ड से यह स्पष्ट है कि संवत 1985 में मन्दिर सालिगराम दर्ज रिकार्ड है। इसके वाद संवत 2010–14 में एवं वर्तमान राजस्व रिकार्ड में दिगम्बर जैन मन्दिर दर्ज रिकार्ड है। वादी द्वारा इसके अतिरिक्त ऐसा कोई भी रिकार्ड पेश नहीं किया गया जिससे यह तथ्य प्रमाणित हो कि विवादित आराजी पूर्व में वादी अथवा उनके पूर्वजो की खातेदारी में दर्ज रिकार्ड रहा है। अतः तनकी नं. 1 सिद्ध कर पाने में वादी असफल रहा। अतः तनकी सिद्ध नहीं होती है।

तनकी सं. 2 :– जब वादी खातेदार ही नहीं है तो रिकॉर्डेड खातेदार के विरूद्ध स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द नहीं हो सकता है।

इस प्रकार दावा में अंकित तथ्यों को सिद्ध करने के लिये प्रति. द्वारा प्रस्तुत रिकार्ड सरावगी अंकित है। जिसका अर्थ अमर मानक विशालन हिन्दी शब्दकोष में देखने पर सरावगी अर्थ जैन धर्म पर विश्वास करने वाला, जैनमतानुयायी है। अतः दावा में अंकित तथ्यों को एवं प्रस्तुत रिकार्ड में अन्तर है। इन सभी तथ्यों से स्पष्ट है कि वादी अपने दावा को सिद्ध करने में असमर्थ रहा है। इसलिए दावा वादी खारिज योग्य है।

राजस्व अपील प्राधिकारी
भरतपुर (राज.)

न्यायालय हाजा का तनकी सं. 1 के संबंध में निर्णय निम्न प्रकार है :–

तनकी सं. 1 :– आया वादी स्वयं को वादग्रस्त आराजी का खातेदार कृषक घोषित करा पाने का अधिकारी है?

इस तनकी को सिद्ध करने का भार वादी पर था। वादी द्वारा अपने वाद को सिद्ध करने हेतु नकल जमाबन्दी सम्वत 1982 प्रदर्श–1, नकल खसरा गिरदावरी प्रदर्श–2, नकल जमाबन्दी सम्वत 2060 प्रदर्श–3, नकल मिलान क्षेत्रफल प्रदर्श–4, नकल जमाबन्दी सम्वत 2006 प्रदर्श–5, नकल जमाबन्दी सम्वत 2026 प्रदर्श–6 एवं नकल खसरा प्रदर्श–7 पेश किए हैं एवं मौखिक साक्ष्य के रुप में जयकुमार पुत्र श्री नारायण जाति ब्राह्मण ने अपने बयान करवाए हैं। प्रदर्श–1 जमाबन्दी सम्वत 1985 के अनुसार खसरा नम्बर 1087, 1088, 1089, 1090, 1091 व 1092 मन्दिर सालिगराम वाके वासन दरवाजा दर्ज रिकार्ड है। प्रदर्श–3 जमाबन्दी सम्वत 2060–2063 कस्बा भरतपुर चक नं. 2 के अनुसार खसरा नम्बर 2090, 2091, 2117, 2118, 2119, 2120, 2121, 2122, 2123 कुल खसरा नम्बर 9 कुल क्षेत्रफल 2.02 हैक्टर मन्दिर दिम्बर जैन बासन दरवाजा खातेदार दर्ज रिकार्ड है। प्रदर्श EXP-4 मिलान क्षेत्रफल कस्बा भरतपुर चक नं. 2 सम्वत 2043 से 2062 के अनुसार हाल खसरा नम्बर 2090 गलत खसरा नम्बर 1090, 1091 से, हाल खसरा नम्बर 2091 गत ख.न. 1092 से, हाल ख.न. 2117 गत ख.न. 1087 मि. से, हाल ख.न. 2118 गत ख.न. 1089 मिन से, हाल ख.न. 2119 गत ख.न. 1089 मि. से, हाल ख.न. 2120 गत ख.न. 1089 मि. से, हाल ख.न. 2121 गत ख.न. 1088 से, हाल ख.न. 2122 गत ख.न. 1087 मि. से, 2123 गत ख.न. 1087मि. से निर्मित होना दर्शित है। प्रदर्श–5 जमाबन्दी बाबत सम्वत 2010 कस्बा भरतपुर चक नं. 2 में खसरा नम्बर 1087, 1089, 1090, 1091, 1092, 1088 मंदिर सरावगीयान वाके वासन दरवाजा दर्ज रिकार्ड है। प्रदर्श–6 जमाबन्दी 2026 में भी मंदिर सरावगीयान जरिये कपूरचन्द मंत्री दर्ज है। प्रदर्श–7 खसरा गिरदावरी सम्वत 2014 से 2017 में मंदिर सरावगीयान ही दर्ज है।

प्रतिवादीगण की ओर से दस्तावेजी साक्ष्य के रुप में प्रदर्श EXA-1 खसरा गिरदावरी सम्वत 2020 से 2022, प्रदर्श EXA-2 एवं EXA-3 खसरा गिरदावरी सम्वत 2014 से 2017, प्रदर्श EXA-4 खसरा टीप मौज ग्राम कस्बा भरतपुर चक–2 सम्वत 2005 पेश किए एवं मौखिक साक्ष्य के रुप में तारा चन्द जैन डी.डब्लू–1 एवं भूपेश कुमार जैन डी.डब्लू–3 के बयान करवाये गए। खसरा गिरदावरी में मंदिर सरावगियान दर्ज है तथा खसरा टीप सम्वत 2005 में भी मंदिर सरावगियान ही दर्ज है।

वादी द्वारा दस्तावेजात में केवल सम्वत 1985 में मंदिर सालिगराम वाके वास दरवाजा वादग्रस्त खसरा नम्बरान पर दर्ज है, इसके सभी दस्तावेजात में मंदिर सरावगियान बासन दरवाजा दर्ज है। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के लागू होने समय का कोई अधिकार अभिलेख वादी द्वारा पेश नहीं किया है जिससे यह साबित हो कि उक्त वादग्रस्त खसरा नम्बरान की भूमि वादी मूर्ति मन्दिर सालिगराम श्री महाराज स्थित वासन दरवाजा स्टेशन बजरिया नई मण्डी भरतपुर के नाम खातेदारी में दर्ज रिपोर्ट हो। बल्कि वादग्रस्त खसरा नम्बर जमाबन्दी सम्वत 2010 जो वादी द्वारा पेश दस्तावेज प्रदर्श–5 में मन्दिर सरावगीयान वाके वासन दरवाजा दर्ज रिकार्ड है। इसके विवेचन में अधीनस्थ न्यायालय ने माना है कि सरावगीय का अर्थ जैन धर्म पर विश्वास करने वाला, जैन मतानुआयी है। वर्तमान जमाबन्दी में प्रदर्श EXP-1 में साबिक से बने हाल खसरा नम्बर मंदिर दिगम्बरक जैन बासन दरवाजा खातेदार के नाम दर्ज है। इस प्रकार अधीनस्थ न्यायालय द्वारा तनकी सं. 1 का विधिसम्मत निर्णय पारित किया है।

राजस्व अपील प्राधिकारी

अधीनस्थ न्यायालय द्वारा तनकी सं. 2 का निर्णय निम्न प्रकार किया गया है :–

तनकी सं. 2 :– आया वादी वादग्रस्त आराजी पर प्रतिवादीगण के विरुद्ध स्थाई निषेधाज्ञा जारी करा पाने का अधिकारी है?

जब वादी खातेदार ही नहीं है तो रिकॉर्डेड खातेदार के विरूद्ध स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द नहीं हो सकता है।

न्यायालय हाजा का तनकी सं. 2 के संबंध में निर्णय निम्न प्रकार है :–

चूंकि तनकी सं. 1 को सिद्ध करने में वादी विफल रहा है इसलिए वादी वादग्रस्त आराजी पर प्रतिवादीगण के विरुद्ध स्थायी निषेधाज्ञा जारी करा पाने का अधिकारी नहीं है।

न्यायालय हाजा का तनकी सं. 3 के संबंध में निर्णय निम्न प्रकार है :–

तनकी सं. 1 में इस बाबत विस्तृत विवेचन किया जा चुका है। वादी तनकी संख्या 1 को अपने पक्ष में सिद्ध नहीं करा पाया है इसलिए यह तनकी भी विरुद्ध वादी निर्णित की जाती है।

न्यायालय हाजा का तनकी सं. 4 के संबंध में निर्णय निम्न प्रकार है :–

वादग्रस्त भूमि जमाबन्दी में राजस्व खातेदारी भूमि दर्ज होने से राजस्व न्यायालय को इस बाबत् सुनवाई का अधिकार है।

न्यायालय हाजा का तनकी सं. 5 दादरसी के संबंध में निर्णय निम्न प्रकार है :–

इस प्रकार उपर्युक्त सभी तनकीयात के विवेचन से वादी का वाद सिद्ध नहीं होने से वह कोई भी दादरसी पाने का अधिकारी नहीं है।

9. अतः उपर्युक्त विवेचन के क्रम में अपील अपीलान्ट सारहीन होने से खारिज की जाती है एवं अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित जैर अपील निर्णय व डिक्री दिनांक 02.08.2024 यथावत रखे जाते हैं।
10. निर्णय आज दिनांक 26.05.2026 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।
11. आदेश की प्रमाणित प्रति सहित अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली प्रेषित की जावे।
12. पत्रावली में और कोई कार्यवाही शेष नहीं है। पत्रावली फैसलशुमार होकर वाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

(रिछपाल सिंह बुरड़क)
राजस्व अपील प्राधिकारी
भरतपुर